मुख्यमंत्री राहत कोष

••• बिहार •••

न्यासी पर्षद की 18वीं बैठक

दिनांक : 13–04–2018

कार्यवाही

क्र0 सं0	प्रस्ताव	न्यासी पर्षद का निर्णय
1.	विगत बैठक की कार्यवाही की सम्पुष्टि।	सम्पुष्ट किया गया।
2.	विगत बैठक की कार्यवाही का अनुपालन प्रतिवेदन।	प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया। अनुपालन प्रतिवेदन के बिन्दु 13 के आलोक में बैठक में निर्णय लिया गया कि बाढ़ आश्रय स्थल का निर्माण कार्य हेतु मुख्य मंत्री राहत कोष से आपदा प्रबंधन विभाग को प्रथम किस्त के रूप में 10.00 करोड़ (दस करोड़) रूपये की राशि हस्तांतरित की जायेगी तथा मांग एवं प्रगति के आधार पर पुनः राशि भविष्य में विमुक्त करने के लिए सदस्य–सचिव को प्राधिकृत किया गया।
3.	जिला पदाधिकारी, दरभंगा के पत्र सं0–04(मु0)/जि0आ0प्र0, दिनांक 15.02.2018 द्वारा बाढ़ पीड़ितों को भोजन कराने हेतु बर्तन के क्रय में व्यय होने वाली राशि 2,57,500/–रू0 आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना द्वारा निर्धारित मानदर के आलोक में मुख्यमंत्री राहत कोष से कुल 2,57,500/–रू0 (दो लाख संतावन हजार पाँच सौ) रूपये मात्र की राशि मुख्यमंत्री राहत कोष से विमुक्त कर इस सचिवालय के पत्रांक–470227 दिनांक 14.03.2018 द्वारा जिला पदाधिकारी, दरभंगा को भेजा गया। इसकी घटनोत्तर स्वीकृति न्यासी पर्षद से प्रार्थित है।	स्वीकृत।
4.	जिला पदाधिकारी, मधुबनी के पत्र सं0–1055/आ0प्र0, दिनांक 31.12.2017 द्वारा बाढ़ पीड़ितों को भोजन कराने हेतु बर्तन के क्रय में व्यय होने वाली राशि 2,70,000/–रू0 आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना द्वारा निर्धारित मानदर के आलोक में मुख्यमंत्री राहत कोष से कुल 2,70,000/–रू0 (दो लाख सत्तर हजार) रूपये मात्र की राशि मुख्यमंत्री राहत कोष से विमुक्त कर इस सचिवालय के पत्रांक–470226 दिनांक 14.03.2018 द्वारा जिला पदाधिकारी, मधुबनी को भेजा गया। इसकी घटनोत्तर स्वीकृति न्यासी पर्षद से प्रार्थित है।	स्वीकृत।
5.	जिला पदाधिकारी, समस्तीपुर के पत्र सं0–196/आ0प्र0, दिनांक 13.03.2018 द्वारा बाढ़ पीड़ितों को भोजन कराने हेतु बर्तन के क्रय में व्यय की गयी राशि 1,28,008/–रू0 आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना द्वारा निर्धारित मानदर के आलोक में मुख्यमंत्री राहत कोष से कुल 1,28,008/– (एक लाख अठ्ाइस हजार आठ) रूपये मात्र के समायोजन हेतु राशि विमुक्त कर इस सचिवालय के पत्रांक–470300 दिनांक 11.04.2018 द्वारा जिला पदाधिकारी, समस्तीपुर को भेजा गया। इसकी घटनोत्तर स्वीकृति न्यासी पर्षद से प्रार्थित है।	स्वीकृत।
6.	मुख्य मंत्री राहत कोष की लेखा में प्राप्त राशि, वितरित राशि एवं शेष जमा राशि के प्रतिवेदन का उपस्थापन।	प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया।

ह0/–
(चंचल कुमार)
सदस्य–सचिव, न्यासी पर्षद,
मुख्यमंत्री राहत कोष, बिहार।

ज्ञापांक–सा०–480 / 2013–4903328/मु०मं०स०, पटना, दिनांक –18/04/2018
प्रतिलिपि :–

1. माननीय मुख्यमंत्री के आप्त सचिव, पटना।
2. माननीय मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार के आप्त सचिव, पटना।
3. मुख्य सचिव, बिहार, पटना।
4. पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना।
5. महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव, बिहार, पटना।
6. प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना।
7. प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना।
8. प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।
9. प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना।
10. प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।
11. प्रधान सचिव के आप्त सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना।

18/4/18

(चंचल कुमार)
सदस्य–सचिव, न्यासी पर्षद,
मुख्यमंत्री राहत कोष, बिहार।